



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272311
CG-DL-E-07052026-272311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2195]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

सं.18/2024 – केंद्रीय कर

का.आ. 2286(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 101क की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन गठित प्रधान न्यायपीठ अपील अधिकरण, नई दिल्ली को, उक्त अधिनियम की धारा 101ख के अधीन की गई अपीलों को सुनने के लिए सशक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा.सं.ए-50/2/2026-जीएसटीएटी-डीओआर]

बालासुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2026

No. 18/2024 – Central Tax

S.O. 2286(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby empowers the Principal Bench of the Appellate Tribunal, New Delhi constituted under sub-section (3) of section 109 of the said Act, to hear appeals made under section 101B of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2026.

[F. No.A-50/2/2026-GSTAT-DOR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.